उत्तर प्रदेश राज्य हज समिति

(उ0प्र0 सरकार द्वारा गठित)
मौलाना अली मियाँ मेमोरियल हज हाउस, सरोजनीनगर लखनऊ–226008
ई–मेल आई.डी. : **hajcommittee.up@gmail.com, shcuplko@rediffmail.com**
वेबसाइट : **hajcommittee.up.gov.in.** Twitter @UPStateHajC & Facebook @Statehajcommittee Up

पत्रांक–जी–।।/364 /एस0एच0सी0/लखनऊ/2026 दिनांक 12 अगस्त 2026

–:प्रेस विज्ञप्तिः–

हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई द्वारा सऊदी अरब में हज 2027 के दौरान यात्रियों के सहयोगार्थ/सुविधार्थ राज्य हज इंस्पेक्टर की तैनाती हेतु आनलाइन आवेदन निम्न शर्तो के अधीन आमंत्रित किये गये हैः–

1. सभी मुस्लिम पुरुष और महिलाएं जिनकी शैक्षिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था से स्नातक हो तथा केन्द्र/राज्य सरकार के स्थायी सरकारी कर्मचारी हों, जिनकी आयु दिनांक 13.08.2026 को 50 वर्ष के भीतर हो को ऑनलाइन आवेदन 13 अगस्त, 2026 से 27 अगस्त, 2026 तक हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई की वेबसाइट https://hajcommittee.gov.in पर करना होगा तथा सभी आवश्यक निर्धारित प्रपत्र अपलोड भी किये जाएंगे। जिन आवेदकों को अंग्रेज़ी, उर्दू, हिन्दी, स्थानीय भाषा व अरबी भाषा बोलने का ज्ञान होगो उन्हें वरीयता दी जायेगी। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार्य नही किया जायेगा।

2. आवेदक मानसिक एवं शारीरिक रुप से पूर्णतः स्वस्थ हो। कम्प्यूटर में निपुण हो, हज सुविधा एप से पूर्णतः भिज्ञ हो। आवेदक को हज के अराकान का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। बड़ी सभाओं को प्रभावी ढंग से संबोधित करने और मार्गदर्शन करने की क्षमता होनी चाहिए। आवेदक के प्रति गत वर्षो में कॉसल जनरल ऑफ इण्डिया/हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुम्बई या राज्य हज समिति से प्रतिकूल रिपोर्ट होगी उनके चयन पर विचार नही किया जायेगा।

3. आवेदक केन्द्र/राज्य सरकार, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस फोर्स/अर्द्धसैनिक बल/संवैधानिक संस्था व केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन पब्लिक सेक्टर अण्डटरेकिंग का होना आवश्यक है। केन्द्र व राज्य सरकार में ग्रुप–ए/क्लास–1 या सातवें वेतन आयोग के आधार पर पे–लेवेल–10 या उससे अधिक या राज्य सरकार में इसके समकक्ष पद के अधिकारी/कर्मचारी आवेदन के पात्र नही होंगे।

4. प्रत्येक 135 हज यात्रियों के ग्रुप पर 01 राज्य हज इंस्पेक्टर तैनात किया जायेगा। राज्य हज इंस्पेक्टर की प्रतिनियुक्ति अवधि दिनांक 03.04.2027 से 25.06.2027 के बीच लगभग दो माह की होगी। इसे ड्यूटी पर तैनात माना जाएगा और मूल विभागों के सेवा अभिलेखों में आवश्यक प्रविष्टियॉ की जाएंगी। इस अवधि के दौरान राज्य हज इंस्पेक्टर अपने मूल विभागों से वेतन और भत्ते प्राप्त करते रहेंगे।

5. कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा दिनांक 06 सितम्बर, 2026 को होगी। साक्षात्कार 08 सितम्बर से 16 सितम्बर, 2026 के मध्य होगा। दो दिवसीय प्रशिक्षण अक्टूबर, 2026 के द्वितीय सप्ताह में मुम्बई में सम्भावित है। कम्प्यूटर बेस्ड परीक्षा 170 अंकों व साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण 30 अंकों के संयुक्त मेरिट के आधार पर चयन होगा।

6. आवेदक के अन्तर्राष्ट्रीय पासपोर्ट की वैद्यता 31 दिसम्बर, 2027 तक होना अनिवार्य है। आवेदक खादिमुल हुज्जाज/स्टेट हज इन्स्पेक्टर के रुप में तीन बार या उससे अधिक सेवा प्रदान न की हो।

7. 25 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने पिछले पॉच वर्षो में स्टेट हज इंस्पेक्टर/हज प्रतिनियुक्ति पर अनुकरणीय प्रर्दशन किया है, 20 प्रतिशत सीटें उन आवेदकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने अधिमानतः पिछले पॉच वर्षो में हज किया हो, 05 प्रतिशत सीटें हज कमेटी व वक्फ बोर्ड के स्थायी कर्मचारियों के लिए आरक्षित होंगी जो अर्हता रखते हों तथा 50 प्रतिशत सीटें सभी पात्र आवेदकों के लिए खुली रहेंगी।

8. एनेक्जर–I पर नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। यदि अनापत्ति प्रमाण पत्र आवेदन करते समय प्राप्त नहीं होता है उन्हें अण्डरटेकिंग अपलोड करना होगा जिसमें साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करने हेतु वचनबद्धता होगी।

9. इच्छुक आवेदकों से अनुरोध है कि आवेदन से पूर्व कृपया हज कमेटी ऑफ इण्डिया, मुॅम्बई द्वारा निर्गत सकुर्लर–07 दिनांक 11.08.2026 का गम्भीरता से अध्ययन कर लें सभी आवश्यक प्रपत्र आवेदन करते समय अपलोड करना अनिवार्य होगा। का ठीक प्रकार से अध्ययन कर लें। सभी आवश्यक प्रपत्र आवेदन करते समय अपलोड करें।

10. आवेदन करने के तुरन्त बाद हार्ड कॉपी इस कार्यालय को डाक अथवा दस्ती उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा।

Digitally signed by MOHD TARIQ
Date: 12-08-2026 14:27:53

(मोहम्मद तारिक)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज।
3. मा0 अध्यक्ष/मा0 सदस्यगण,उ0प्र0 राज्य हज समिति, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज, उ0प्र0 शासन।
5. निदेशक, उ0प्र0 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
6. समस्त ज़िलाधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उ0प्र0।
8. समस्त ई–सुविधा केन्द्र/प्रशिक्षक, समस्त जनपद, उ0प्र0।
9. ज़िला सूचना अधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 ।

(मोहम्मद तारिक)
सचिव/कार्यपालक अधिकारी